

अनुसूची १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक - ता०.....से.....तक
जिला....., सं०....., सन् १९.....
केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
	<p style="text-align: center;">न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा</p> <p style="text-align: center;">भूमि विवाद अपील वाद संख्या: 188/2013</p> <p style="text-align: center;">सुरेन्द्र भगत — अपीलार्थी वनाम कारी मेहता वगैरह — रेष्पोण्डेन्ट्स</p> <p style="text-align: center;">—:आदेश:—</p> <p>प्रस्तुत अपील वाद सुरेन्द्र भगत द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांक: 19.03.13 ई० अन्दर भूमि विवाद वाद संख्या: 102/12 के विरुद्ध खिलाफ रेष्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है।</p> <p>वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।</p> <p>अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी को वर्णित भूमि जिसका खाता: 206, खेसरा: 649, रकबा: 55 डी०, तथा चौहद्दी उत्तर-खेसरा: 609, दक्षिण-कपलेश्वर मंडल, पुरब- सड़क, पश्चिम- महावीर भगत जो मौजा-बैजनाथपुर, थाना-सौरबाजार में स्थित है, बजरिये रजिस्ट्री केवाला से वादी के दादा शुभुकलाल भगत के नाम प्राप्त है तथा अपीलार्थी/वादी उक्त भूमि पर दखलकार है तथा लगान रसीद भी उनके नाम से कटना बतलाते हैं।</p> <p>अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि वर्णित भूमि पर वादी घर -मकान बनाकर निवास करते हैं तथा दखल का स्पष्ट वो स्थायी प्रमाण है कि वर्णित भूमि से वादी के परिवार को यादें जुड़ी है और विभिन्न वर्षों से अद्यतन उक्त जमीन में अपीलार्थी/वादी के दादा, पिता वो उनके दो भाई, मों व अपीलार्थी/वादी के एक भाई का समाधि स्थल उक्त जमीन में स्थित है तथा गाछ वृक्ष भी लगे हैं जो करीब 10 वर्षों से है। वादी घर बनाने हेतु इंदिरा आवास की राशि से निर्माण सामग्री गिराए जो विपक्षी द्वारा घटना कर क्षति कर दिया गया है।</p> <p>अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते</p>	

हैं कि अपीलार्थी के पिता के नाम से हाल सर्वे खतियान खुला है, जिसे आज तक न तो धारा-106 बी०टी० एक्ट एवं नहीं अंतिम प्रकाशन के बाद ही किसी स्तर पर चैलेंज किया गया है और सर्वे खतियान के विरुद्ध कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार निम्न न्यायालय को नहीं था बावजूद उक्त तथ्य को नजरअंदाज किया गया और उक्त तथ्य को नजर अंदाज कर गलत आदेश पारित किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि रेस्पाण्डेन्ट/विपक्षी वर्णित जमीन के बावत जगदीश भगत से खरीदगी दिखाते हैं जबकि जमीन के बावत जगदीश भगत ने जमीन अपीलार्थी/वादी के परिवार से सूदभरना दस्तावेज के द्वारा होना प्रदर्शित दिखाया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि सूदभरना दस्तावेज के आधार पर किसी भी व्यक्ति को टाईटिल राइट का स्थानान्तरण नहीं हो सकता है और सूदभरना दस्तावेज के धारक यदि उक्त जमीन को अन्य को केवाला करते हैं तो वह लिखित भी अवैध माना जाएगा। अपीलार्थी/वादी के दादा शुभक लाल भगत के नाम विवादी भूमि वर्ष: 1962 ई० में डीड नं०- 637 द्वारा खरीद है, जिसका हाल सर्वे खाता भी अपीलार्थी के पिता ठाकुर भगत वो चाचा परमेश्वर वो आनंदी वो महादेव भगत के नाम दर्ज है, जिसके अवलोकनार्थ अपीलार्थी हाल सर्वे खतियान की छायाप्रति भी इस लिखित बहस के साथ दाखिल किए हैं। उक्त भूमि का राजस्व रसीद भी निर्गत है जिसे अपीलार्थी/ वादी के दादा शुभक लाल भगत अपने व्यवसाय हेतु उत्तरवादी के विक्रेता को वर्ष: 1963 में खाता 79, खेसरा: 153, रकवा: 09 कट्टा 17 धूर जगदीश भगत को सूदभरना दिया वो अपीलार्थी/वादी के दादा द्वारा कुछ समय पश्चात सूदभरना की राशि समय-सीमा के अंदर अदाय कर जमीन मुक्त करवा दिया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि विधि के अनुसार Once mortgage is always mortgagge सूदभरना तो वैसे भी कभी भी सूदभरना ली गई भूमि पर स्वत्व वो अधिकार की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उक्त स्थिति में भूमि बिक्री का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है यदि सूदभरना की राशि वापस नहीं भी की जाती है एवं सूदभरना कंडीशनल हो वैसे हालात में भी सूदभरना की राशि नहीं मिलने के बावजूद भी भूमि पर हक प्राप्त करने के लिए भू-स्वामी से वाजिब जरसम्मन अदा कर जमीन केवाला करवाना कानूनी रूप से आवश्यक है यदि भू-स्वामी केवाला करने से इंकार करते हैं तो 'टाईटिल सूट' के द्वारा सूदभरना कंडीशनल सेल से हक प्राप्त करने हेतु सिविल कोर्ट से डिग्री लेना आवश्यक है। यदि उपरोक्त विधान पूरा नहीं किया गया तो सूदभरना कंडीशनल सेल के आधार पर कभी भी स्वत्व वो स्वामित्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है जिस महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य पर निम्न न्यायालय ने कोई विचार ही नहीं किया जिस हेतु निम्न न्यायालय का आदेश विधि संगत नहीं है एवं रद्द करने योग्य है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रतिवादी ने अपने बहस के दौरान यह तथ्य रखा कि अपीलार्थी सिविल कोर्ट में टाईटिल सूट किये थे जो खारिज हो गया। उक्त संबंध में अपीलार्थी का कथन है कि सिविल कोर्ट में कभी कोई मोकदमा चलने की कोई सूचना अथवा जानकारी अपीलार्थी को नहीं है और न ही सिविल कोर्ट में कभी किसी प्रकार का कोई डिग्री ही अपीलार्थी के विरुद्ध पारित हुआ है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी /वादी वंशवृक्ष के आधार पर विवादी प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा करते हैं। अपीलार्थी द्वारा यह गलत कथन किया गया है कि विवादी प्रश्नगत भूमि रकवा 55 डी० उनके हक वो दखल की भूमि है जिसका जमाबंदी संख्या: 206 उनके पिता एवं भाई के नाम से दर्ज है, जिसके के आधार पर अपीलार्थी द्वारा रेंट का भूगतान किया जाता है एवं खाता संख्या: 206, खेसरा संख्या: 649 का रकवा 55 डी० अपीलार्थी/वादी की भूमि है।


रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि शुभक लाल भगत द्वारा अपने जीवनकाल में ही जगदीश भगत पिता- अच्छे लाल


भगत से विवादी भूमि को बेचने हेतु अनुबंध किया गया जिसमें खाता संख्या: 79, खेसरा संख्या: 153 रकवा: 9 कट्टा 17 धूर भूमि पर जगदीश भगत से जिस तरह शुभक लाल ने केवाला के बदले कन्डिशनल सेल डीड किया। उक्त एराजी के बदले अपना दावा करना छोड़ दिए तथा 07 कट्टा 7 धूर 15 धूरकी जमीन पर दिनांक 16.01.62 जगदीश भगत हकदार वो दखलकार हैं। शुभक लाल भगत द्वारा अपने भूमि को छोड़ दिया गया तथा जगदीश भगत उक्त विवादी भूमि पर दखलकार हुए वो जगदीश भगत द्वारा उपरोक्त भूमि को रजिस्ट्री केवाला दस्तावेज दिनांक: 06.01.1972 के माध्यम से केदार मेहता को बिक्री कर दिया गया वो बाद खरीदगी के केदार मेहता विवादी प्रश्नगत भूमि पर हकदार वो दखलकार हुए।

रेस्पोंडेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि आनंदी भगत पिता-शुभक लाल भगत के पास 2 कट्टा 9 धूर 5 धूरकी भूमि अवशेष रह गई वो उनके द्वारा भूमि की बिक्री हेतु शिव नंदन मेहता, हरि नंदन मेहता एवं मनमोहन मेहता से संपर्क किया गया तथा रजिस्ट्री केवाला दिनांक: 16.01.1971 को क्रियान्वित किया गया। उक्त वर्णित भूमि के खरीदार बाद खरीदगी के लगभग 12 वर्षों से हकदार वो दखलकार हैं।

रेस्पोंडेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि शुभक लाल भगत के पुत्र द्वारा उक्त भूमि के निश्चत बहुत पहले ही सिविल कोर्ट में टाईटल सूट दायर किया गया था, जिसमें अनुपस्थित रहने के कारण उक्त वाद खारिज किया जा चुका है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया। अपीलार्थी/वादी अपना दावा निम्न न्यायालय एवं इस न्यायालय में साबित करने में सफल नहीं रहे हैं। अस्तु अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापित्त एवं संशोधित।


आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा


आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा